न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 53/2015

अपीलांट

1. नथमल पुत्र घेवरचंद
2. जयन्तीलाल पुत्र घेवरचंद जातियान जैन ओसवाल निवासीगण गोल (उम्मेदाबाद) तहसील व जिला जालोर

बनाम

रेस्पोडेन्टस्

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार जालोर

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली कैम्प जालोर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री सुरेन्द्र कुमार दवे, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांक : 15.07.2019

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखंड अधिकारी जालोर कैम्प उम्मेदाबाद द्वारा मुकदमा संख्या 04/2015 मे पारित निर्णय दिनांक 10.07.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अर्न्तगत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत मौजा गोल उम्मेदाबाद के खसरा नंबर 1703 रकबा 1.79 हैक्टर गै.मु., खसरा नंबर 1704 रकबा 0.01 हैक्टर गै.मु. बेरा, खसरा नंबर 1705/2037 रकबा 0.80 हैक्टर गै.मु. के संबध में प्रस्तुत कर खातेदारी घोषित कराने को निवेदन किया। साथ ही स्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई। अधीनस्थ न्याायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद का आधार यह था कि अपीलांट के पिता घेवरचंद पुत्र समरथमल जाति जैन निवास उम्मेदाबाद का वादग्रस्त आराजी पर संवत 2009 से लगातार कब्जा काश्त रहा है। अपीलांट के पिता ने उक्त आराजी पर संवत 2020 में एक कुआ भी खुदवाया

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली कैम्प-जालोर

था जो आज भी मौके पर मौजूद है। उक्त कुए से अपीलांट के पिता वादग्रस्त आराजी पर काश्त करते थे एवं उनकी देहान्त के पश्चात अपीलांट उक्त वादग्रस्त आराजी पर काश्त करते आ रहे है। किन्तु प्रथम सेटलमेंट के वक्त सेटलमेंट कर्मचारियो ने बिना किसी अधिकार के उक्त आराजी अपीलांट के पिता के नाम खातेदारी में दर्ज नहीं की। जबकि वादग्रस्त आराजी पर आदिनांक तक अपीलांट का कब्जा काश्त है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद को लोक अदालत कैम्प में नियत कर खारिज कर दिया गया। जबकि अपीलांट को लोक अदालत के संबध में कोई नोटिस नहीं दिया गया। एवं न ही अपीलांट द्वारा कोई राजीनामा प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना तनकीयात कायम किये लोक अदालत कैम्प मे जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर पत्रावली पुनः सुनवाई हेतु रिमांड की जावे।

वकील रेस्पोडेन्ट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अर्न्तगत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत मौजा गोल उम्मेदाबाद के खसरा नंबर 1703 रकबा 1.79 हैक्टर गै.मु., खसरा नंबर 1704 रकबा 0.01 हैक्टर गै.मु. बेरा, खसरा नंबर 1705/2037 रकबा 0.80 हैक्टर गै.मु. के संबध में प्रस्तुत कर खातेदारी घोषित कराने को निवेदन किया। साथ ही स्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई। हस्तगत प्रकरण में वर्णित वादग्रस्त आराजी की किस्म गै.मु. नदी है। एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के प्रावधानो के तहत उक्त किस्म की आराजी के खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रावधान को ध्यान में रखते हुए जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो कि पूर्णतया विधिसम्मत है। अत अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अर्न्तगत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत मौजा गोल उम्मेदाबाद के खसरा नंबर 1703 रकबा 1.79 हैक्टर गै.मु., खसरा नंबर 1704 रकबा 0.01 हैक्टर गै.मु. बेरा, खसरा नंबर 1705/2037 रकबा 0.80 हैक्टर गै.मु. के संबध में प्रस्तुत कर खातेदारी घोषित कराने को निवेदन किया। साथ ही स्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई। हस्तगत प्रकरण में वर्णित वादग्रस्त आराजी जमाबंदी संवत 2069–72 के अनुसार गै.मु नदी दर्ज है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस0एल0पी0 3109/2011 जगपालसिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य में दिनांक 28.01.2011 को निर्णय पारित करते हुए कॉमन लैण्ड में अनाधिकृत कब्जे को खाली कराने के निर्देश दिये गये है। इसके अतिरिक्त उक्त किस्म की भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत आवंटन/नियमन से प्रतिबन्धित है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रावधानो को ध्यान में रखते हुए जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई। जिसमे हमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-जालौर

53/2015

नथमल वगैरह बनाम सरकार

पेज नंबर 3/3

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील बलहीन व सारहीन होने से खारिज की जाती है। उपखंड अधिकारी जालोर कैम्प उम्मेदाबाद द्वारा मुकदमा संख्या 04/2015 मे पारित निर्णय दिनांक 10.07.2015 को यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 15.07.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली केम्प-जालोर